/

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MRL/27/2017/ 1083 भोपाल, दिनांक 15/4/19

प्रति,

महाप्रबंधक,
ऑयल एण्ड नैचूरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड
देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषयः– वन मंडल दमोह के विभिन्न परिक्षेत्रो के विभिन्न RF/PF के रकबा 18167 हे. वनभूमि तथा वन मंडल कटनी के परिक्षेत्र बहोरीबन्द के विभिन्न PF कक्षों के रकबा 3811.00 हे. वनभूमि कुल रकबा 21978.000 हे वनभूमि में पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस के खोज हेतु 4 इन्च व्यास का (5940) नग बोरहोल पूर्वेक्षण कार्य की अनुमति –महाप्रबंधक, ऑयल एण्ड नैचूरल गैस कार्पोरेशन लि. देहरादून

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक / 8-73/2018-FC दिनांक 12 / 04 / 2019

—0—

महा प्रबंधक, ऑयल एण्ड नैचूरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, देहरादून द्वारा वन मंडल दमोह के परिक्षेत्र सिंगरामपुर, तेजगढ़, तेन्दूखेड़ा, सगोनी के विभिन्न RF/PF के रकबा 18167 हे. वनभूमि तथा वन मंडल कटनी के परिक्षेत्र बहोरीबन्द के विभिन्न PF के रकबा 3811.000 हे. वनभूमि कुल 21,978.000 है. वनभूमि में पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस के खोज हेतु 4 इन्च व्यास के 5940 बोरहोल पूर्वेक्षण कार्य करने की अनुमति प्रदान करने का आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया था।

2. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रमांक 8-73/2018-FC दिनांक 12 / 04 / 2019 से प्रकरण में 5940 नग बोरहोल पूर्वेक्षण कार्य की सामान्य एवं विशिष्ट शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान की गई है।

3 भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली ने प्रकरण में सामान्य शर्त वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य की राशि एवं नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि आवेदक संस्थान से कैम्पा मद में ई–पोर्टल के माध्यम से जमा कराई जाना प्रावधानित किया गया है।

4. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देश पत्र क्र. 5-3/2007-FC दिनांक 24 / 12 / 2018 के अनुक्रम में कुल रकबा 21978.00 हेक्टेयर वनभूमि की एक प्रतिशत एन.पी.व्ही. की राशि तथा प्रति नग बोरहोल के 20 बड़े पौधों के रोपण की निम्नानुसार राशियां आवेदक संस्थान भुगतान करेगाः–

(i) **नेट प्रजेन्ट वॅल्यू (सिस्मिक सर्वे हेतु 1%)**

क्र.	वनमण्डल का नाम	प्रभावित वन क्षेत्र (हे.मं.)	घनत्व	दर (प्रति हेक्टेयर)	राशि (रू. लाख में)
1	दमोह	18167.00	0.1 से 0.4	6.26	1137.25
2	कटनी	3811.00	0.4 से 0.7	8.03	306.03
		योग			**1443.28**

नेट प्रजेन्ट वैल्यू का 1% =रु. 14,43,28,000 / –

(ii) क्षतिपूर्ति वनीकरण

क्र.	टॉल पौधों का वनीकरण	बोरहोल की संख्या	दर (प्रति बोरहोल पर 20 टॉल पौधा)	राशि (रू. में)
1	टाल पौधों का रोपण	5940 बोर होल, 20 पौधो प्रति होल	500	59400000

4 प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी स्वीकृति पत्र क्रमांक/8-73/2018-FC दिनांक 12/04/2019 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि आवेदक संस्थान से उपरोक्तानुसार राशियां कैम्पा मद में ई–पोर्टल के माध्यम से जमा कराये तथा भारत सरकार के स्वीकृति पत्र में अधिरोपित समस्त शर्तों का लिखित में वचन पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को अवगत करावें। आवेदक संस्थान से उपरोक्त राशियां जमा होने की पुष्टि एवं शर्तो के पालन के उपरान्त कार्य की अनुमति दी जा सकेगी।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

14/4

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ–1/FP/MP/MRL/27/2017/1084 भोपाल, दिनांक 15/4/19

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, सागर/जबलपुर वृत्त, मध्यप्रदेश।
2. वनमंडलाधिकारी वनमंडल (क्षेत्रीय), दमोह मध्य प्रदेश।
3. वनमंडलाधिकारी वनमंडल (क्षेत्रीय), कटनी मध्य प्रदेश।
4. संचालक, कार्यालय, संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।
5. जिलाध्यक्ष (खनिज शाखा) जिला–दमोह/कटनी, मध्यप्रदेश।

की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

14/4

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल